

West: Starting from the outer southern boundary of Mohal Garoru, Hadbast No. 339 and outer boundary i.e. 150 mtrs from centre of N.H-20 road on both sides of Mohal Dhelu, Hadbast No. 65 of Tehsil Joginder Nagar, Distt Mandi.

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 फरवरी, 2016

संख्या: टी0सी0पी0-एफ(5)-8/2013.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ(5)-8/2013 तारीख 15.1.2014 द्वारा गठित सुजानपुर योजना क्षेत्र, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर से निम्नलिखित राजस्व गाँवों (हदबस्त संख्याओं) को अपवर्जित करते हैं, अर्थात:-

क्रम संख्या	राजस्व गाँवों का नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना)
1.	मत्तयाल	55 / 12	15.24	43
2.	गागला	55 / 18	33.24	107
3.	दरयाल	55 / 23	6.76	142
4.	खरसाल	55 / 17	17.70	123
5.	हार	55 / 15	13.43	—
6.	सुन्दराड़ा	55 / 1	5.38	75
7.	चरोट (भागतः)	55 / 44	145.24-24.20=121.04	216-36=180
	कुल. .		212.79	670

ऐसे अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सुजानपुर योजना क्षेत्र की परिसीमाओं को निम्न प्रकार से पुनः परिभाषित करते हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व गाँवों का नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना)
1.	टिहरा	55 / 36	165.75	697
2.	सुजानपुर (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	55 / 43	241.87	7943
3.	बल्ला राटियां (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	55 / 33	19.98	

4	बल्ला घिरथां (अधिसूचित क्षेत्र समिति)	55/32	41.98	
5	दाड़ला	55/19	125.68	587
6	चौकी	55/7	22.45	148
7	मिहाड़पुरा	55/24	55.45	415
8	टिक्कर	55/35	113.60	298
9	दरसाल	55/21	27.19	108
10	पन्तेहड़	55/10	10.94	—
11	जोल कलां	55/8	20.18	78
12	चरोट (भागतः)	55/44	145.24—121.04=24.20	216—180=36
13	भडोला	55/22	17.26	163
	कुल .		886.53	10473

उत्तर: मोहाल दाड़ला हदबस्त संख्या 55/19 के उत्तरी सीमा बिन्दु से आरम्भ होकर व्यास नदी तक, फिर व्यास नदी के साथ-साथ लगते बल्ला घिरथां हदबस्त संख्या 55/32, सुजानपुर हदबस्त संख्या 55/43 और टिहरा हदबस्त संख्या 55/36 की उत्तरी पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक।

पूर्व: मोहाल टिहरा की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ होकर दक्षिणी दिशा की ओर मोहाल टिहरा हदबस्त संख्या 55/36, भडोला हदबस्त संख्या 55/22 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मोहाल चरोट की सीमा से मोहाल भडोला के मिलन बिन्दु तक।

दक्षिण: मोहाल वडोलां हदबस्त संख्या 55/22 की दक्षिण-पश्चिम सीमा के मिलन बिन्दु के आरम्भ होकर गांव बडोला की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की तरफ सुजानपुर चौरी सड़क से 100 मी० पीछे तक फिर इस सड़क के बाईं तरफ 100 मी० दूरी के साथ-साथ गांव चरोट की पश्चिमी सीमा तक। फिर वहां से उत्तर की तरफ गांव जोल कलां, हदबस्त संख्या: 55/8 तक फिर गांव जोल कलां, पन्तेहड़ हदबस्त संख्या: 55/10, टिक्कर हदबस्त संख्या: 55/35 और मिहाड़पुरा हदबस्त संख्या: 55/24 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पुंगखड़ और व्यास नदी के संगम तक।

पश्चिम: व्यास नदी और पुंग खड़ के संगम बिन्दु से आरम्भ होकर व्यास नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर मोहाल चौकी हदबस्त संख्या 55/7 और दाड़ला हदबस्त संख्या 55/19 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मोहाल दाड़ला की उत्तरी सीमा तक।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अति० मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English Text of this department Notification no. TCP-F(5)-8/2013 dated 02.02.2016 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd February, 2016

No. TCP- F(5)-8/2013.—In exercise of powers conferred by sub-section (a) of sub-section (2) of section (13) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of

1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following revenue villages (Hadbast Nos) from the Sujampur Planning Area, Tehsil Sujampur, Distt. Hamirpur which was constituted vide Government Notification No. TCP-F(5)-8/2013 dated 15.1.2014, namely:—

Sr. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectare)	Population (2011 Census)
1.	Matyal	55/12	15.24	43
2.	Gagla	55/18	33.24	107
3.	Daryal	55/23	6.76	142
4.	Kharsal	55/17	17.70	123
5.	Har	55/15	13.43	—
6.	Sundrara	55/1	5.38	75
7.	Charot (Partely)	55/44	145.24-24.20=121.04	216-36=180
	Total- -	—	212.79	670

Consequent upon such exclusion the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-define the limits of the Sujampur Planning Area as under:—

Sr. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectare)	Population (2011 Census)
1.	Tihra	55/36	165.75	697
2.	Sujampur (NAC)	55/43	241.87	7943
3.	Balla Rathian (NAC)	55/33	19.98	
4.	Balla Ghirthan (NAC)	55/32	41.98	
5.	Darla	55/19	125.68	587
6.	Chowki	55/7	22.45	148
7.	Miharpura	55/24	55.45	415
8.	Tikkar	55/35	113.60	298
9.	Darsal	55/21	27.19	108
10.	Pantehar	55/10	10.94	—
11.	Jol Kalan	55/8	20.18	78
12.	Charot (Partly)	55/44	145.24-121.04= 24.20	216-180=36
13.	Bhadola	55/22	17.26	163
	Total. .		886.53	10473

SPEFICICATIONS

NORTH: Starting from the northern boundary point of Mohal Darla Hadbast No. 55/19 upto Beas River then upstream alongwith Beas River following the northern boundary of Mohal Balla Ghirthan 55/32, Sujapur 55/43 and Tihra 55/36 upto the northerneastern boundary meeting point of Mohal Tihra.

- EAST:** Starting from the meeting point of northern-eastern boundary of Mohal Tihra towards southern side following the eastern boundary of Tihra Hadbast No. 55/36 Badola Hadbast No. 55/22 upto the meeting point of Mohal Badola boundary with Mohal Charot.
- SOUTH:** Starting from the meeting point of Mohal Badola southern and western boundary towards northern side behind 100 metre distance from link road then alongwith link road toward western side upto a distance of 100 metre upto the western boundary of Mohal Charot then following the western boundary of Mohal Charot towards northern side upto the boundary of Mohal Jol-Kalan H.BNo. 55/8 then following the southern boundary of Mohal Jol-Kalan Hadbast No. 55/8, Pantehar Hadbast No. 55/10, Tikkar Hadbast No. 55/35 and Miharpura Hadbast No. 55/24 upto the confluence point of Pung Khad with River Beas.
- WEST:** Starting from the confluence point of Beas River and Pung Khad upstream of River Beas following the western boundary of Mohal Chowki Hadbast No. 55/7 and Darla Hadbast No. 55/19, upto the northern boundary of Mohal Darla.

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जनवरी, 2016

संख्या:गृह-सी(बी)14-1/2016-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल, 2000 के पैरा 570 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में सिविल और दाण्डिक अधिकारिता वाले न्यायालयों तथा विशेष न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कैदियों को, निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार का परिहार प्रदान करते हैं :—

क्रम संख्या	कैदियों की श्रेणियां	मन्जूर किए गए राज्य परिहार का मापमान
1.	आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कैदियों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे कैदियों को, जिन्हें 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है	पैंतालीस दिन ।
2.	पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी	तीस दिन ।
3.	तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी	इक्कीस दिन ।
4.	एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी	पन्द्रह दिन ।
5.	तीन मास से अधिक और एक वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी	सात दिन: